भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2451
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

हाशिए पर पड़े समूहों को पेंशन

2451. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को प्रदान की जाने वाली पेंशन का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए पेंशन का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2000 से हाशिए पर पड़े वर्गों के पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा अल्प पेंशन राशि दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत सहायता की दर, लाभार्थियों का कवरेज, पात्रता मानदंड आदि का समय-समय पर प्रभाव आकलन/मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है। इन योजनाओं के तहत परिकल्पित प्रमुख मानदण्ड में वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवाओं जैसे हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्ग के नागरिकों को बुनियादी स्तर की सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है।

(ग): एनएसएपी के तहत, वर्ष 1995 में कार्यक्रम की शुरुआत के साथ 1.03 करोड़ लाभार्थियों की अधिकतम सीमा/संख्या लागू की गई थी। वर्ष 1998 में संख्यात्मक अधिकतम सीमा को संशोधित कर 1.33 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2000 में, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं किए गए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा नामक एक नई योजना शुरू की गई और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को वर्ष 2001 में परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2009 में, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए दो नई पेंशन योजनाएं शुरू की गईं- राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (अधिकतम सीमा-54.8 लाख) और राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (अधिकतम सीमा -15.65 लाख)। वर्ष 2011-12 में, एनएसएपी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की अधिकतम सीमा को वर्ष 2001 की जनगणना के जनसंख्या और वर्ष 2004-05 के गरीबी अनुपात आंकड़ों के

आधार पर संशोधित करके लगभग 3.27 करोड़ लाभार्थियों तक किया गया। कुछ योजनाओं में अधिकतम सीमा का उपयोग न किए जाने के कारण कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिकतम सीमा को बाद के वर्षों में संशोधित किया गया तथा वर्ष 2012 से यह सीमा लगभग 3.09 करोड़ लाभार्थियों पर कायम है।

(घ) : एनएसएपी की शुरुआत नागरिकों की सबसे कमजोर श्रेणी को बुनियादी स्तर की सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जाता है कि वे कम से कम केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त राशि प्रदान करें ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और केंद्रीय सहायता की दर में संशोधन पर विचार किया गया। हालाँकि, उपलब्ध वित्तीय क्षमता को देखते हुए, सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

****